सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-156/2021 दिनांक- 26-मार्च-2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

अपहरणकर्ता गिरफ्तारअपहृता बरामद ,

दिनांक 26.03.2021 को आवेदक थाना पिपरा जनपद कुशीनगर हाल पता थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 23.03.2021 को समय करीब 7 बजे शाम को मेरी लड़की उम्र करीब 14 साल को मुस्तफा पुत्र शमशुद्दीन निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ जो हफीजुर्रहमान के मकान मे भाड़े पर रहता है। बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचनात्मक कार्यवाही व0उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उक्त प्रकरण में आदेशानुसार उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाकर नामजद वॉछित अभियुक्त की तलाश किया जा रहा था व मिलने वाले हर सम्भावित स्थानो पर दविश दी जा रही थी जिसके क्रम में-

आज दिनांक 27.03.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वारण्टी/वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभिय़ान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व मे व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह मु.अ.सं.66/021 धारा-363,366 भादवि में नामजद वांछित अभियुक्त मुस्तफा पुत्र शमशुद्दीन निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय 10.30 बजे समौधी से आगे खाली मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु.अ.सं.66/021 धारा-363,366 भादवि

बरामदगी –

अपहृता सकुशल बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त -

मुस्तफा पुत्र शमशुद्दीन निवासी पुरारानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 मो0 मेराज, का0 दीपक कुमार, का0 अजय कुमार, म0का0 रोशनी सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थानासरायमीर-

चोरी के समान के साथ तीन अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित चोरो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत,ईनामिया,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 26.03. को थाना सरायमीर 2021 पुलिस द्वारादिनांक 25.03. को 2021श्रीमती उषा देवी पत्नी सुदर्शन कुमार निवासी पवई लाडपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु41 0स0अ0/457 धारा 2021/भाद 380वि का सफल अनावरण करते हुए 3 नफर अभियुक्तगण 1. आकाश कुमार पुत्र शोले 2. अक्षय कुमार पुत्र सतीराम 3. राहुल कुमार पुत्र सरीबा निवासीगण पवई लाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को मय माल

एक अदद मंगल सूत्र , एक अदद करधनी व एक जोडी पायजेब व रुपया नगद 49000 के साथ रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्थित एक निर्माणाधीन मकान से दिनांक 26.03.19 को समय 2021.बजे गिरफ्तार क 15र अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. आकाश कुमार पुत्र शोले निवासी पवई लाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. अक्षय कुमार पुत्र सतीराम निवासी पवई लाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. राहुल कुमार पुत्र सरीबा निवासी पवई लाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

सम्बन्धित अभियोग

मु0041 0सं0अ0/457 धारा 2021/380/ भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़। 411

बरामदगी का विवरण

चोरी की एक अदद मंगल सूत्र, एक अदद करधनी व एक जोडी पायजेब व रुपया नगद 49000

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. वशमशेर यादव थाना सरायमीर आजमगढ। 0नि0उ0

.2का शुभम सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़। 0

.3काराहुल कन्नौजिया थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़। 0

.4का अश्वनी यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़। 0

5. का हिंमाशू सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़। 0

थाना जहानागंज

अवैध 50 लीटर अमिश्रित शराब 86 अदद पाउच 2 किलो यूरिया 250 ग्राम नौशादर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.03.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ **सुधीर कुमार सिंह** के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में तथा अवैध शराब बनाने व बेचने वाले की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम मे अभियुक्त पंचम राजभर पुत्र पूजन राजभर ग्राम निजामुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को समय करीब 19.10 बजे शाम खल्लोपुर नखुवा के पास से **अवैध 50 लीटर अमिश्रित शराब 86 अदद पाउच 2 किलो यूरिया 250 ग्राम नौशादर** के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 60/2021 धारा 272/273 भादवि व 60(A) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः-पंचम राजभर पुत्र पूजन राजभर ग्राम निजामुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष बदरियाफ्त जुर्म स्वाकीर करते हुए बता रहा है कि साहब कच्ची शराब मे यूरिया फिटकरी नौशादर को मिलाकर बेचता हूँ। मिलावट करने से शराब की तेजी व नशा बढ जाता है। जिसको ऊचे दाम पर बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हू अपने किये की बार-बार माफी माँग रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

पंचम राजभर पुत्र पूजन राजभर ग्राम निजामुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

बरामदगी

अवैध 50 लीटर अमिश्रित शराब 86 अदद पाउच 2 किलो यूरिया 250 ग्राम नौशादर

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 60/2021 धारा धारा 272/273 भादवि व 60(A) आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 संदीप यादव
2. विजय कुमार आबकारी निरीक्षक

3. SI विजय प्रताप सिंह

4. हे0का0 अवधेश प्रसाद

5. का0 सागर सिंह

6.का0 अंकित कुमार,

7. का0 हरेन्द्र मिश्रा,

8. का0 मुकेश यादव,

9. म0का0 पूजा परिहार

10. हे0का0 पप्पू सिंह(आबाकारी)

11. का0 सुधाकर सिंह(आबाकारी)

12. का0 मनोज गुप्ता(आबाकारी)

थानाबरदह -

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 27.03. संतोष यादव के बाद देखभाल क्षेत्र 0 बजरंग मिश्रा मय हमराह का 0नि0को उ 2021, चेकिंग संदिग्ध व्यक्तिअवैध वाहन/, पेण्डिंग विवेचना व तलाश वांछित अभियुक्त मे मामुर थे कि मु 42 0सं0अ0/406 धारा 21/420/467/468/ 471 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार पुत्र देवशंकर साकिन सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ कि गिरफ्तारी हेतु मय हमराह के अभियुक्त के घर पर दबिश दिया गया तो अभियुक्त उपरोक्त घर पर मौजूद मिला जिसे मौके पर से कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 09. बजे बकायदा बजाफ्ता नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। 30 अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु42 0सं0अ0/406 धारा 21/420/467/468/भादवि 471

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्तशैलेन्द्र कुमार पुत्र देवशंकर साकिन सोनहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 बजरंग मिश्रा मय हमराह का0 संतोष यादव **थाना बरदह जनपद आजमगढ**

थानारौनापार-

एक अदद तमंचा बोर 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के कुशल नेतृत्व में अभियुक्तो की गिरफ्तारी व शस्त्र बरामदगी के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चाँदपट्टी बाजार के पास से एक नफर अभियुक्त संतोष जायसवाल पुत्र स्व फरीदपुर 0गिरधारी जायसवाल सा 0 05 बोर के साथ समय लगभग 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 थाना रौनापार आजमगढ़ को एक अदद तमंचा. बजे 35 50 0सं0अ0 गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु/3 धारा 2021/ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा 25 रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संतोष जायसवाल पुत्र स्वफरीदपुर थाना रौनापार आजमगढ़ 0गिरधारी जायसवाल सा 0

बरामदगी-

एक अदद तमंचा बोर 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315

पंजीकृत अभियोग-

मु50 0सं0अ0/3 धारा 2021/आर्म्स एक्टथाना रौनापार आजमगढ़। 25

आपराधिक इतिहास-

1 . मु29 0सं0अ0/3 धारा 15(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट।

2 . मु217 0सं0अ0/272 आबकारी अधिनियम व धारा 60 धारा 14/भादवि। 273

3 . मु53 0सं0अ0/जी।110 धारा 17

4 . मु220 0सं0अ0/4 धारा 14/ आर्म्स एक्ट। 25

5 . मु50 0सं0अ0/3 धारा 2021/ आर्म्स एक्ट। 25

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 . थानाध्यक्ष तारकेश्वर राय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. हे 0का0कृपाशंकर सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. काकीर्ति कुमार सिंहथाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 0
4. मरीना अग्निहोत्रीथाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 0का0

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 27 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।